संख्याः 1945 / VII-2-09 / 51-ख / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांकः 08 जुलाई, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के आयोजनागत पक्ष की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून के पत्र संख्या: 486 / लेखा0 / बजट / 2009-10, दिनांक 29 जून, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदानान्तर्गत आयोजनागत पक्ष की निम्नलिखित मानक मदों में **कुल रूपये 71,00,000/- (रू0 इकहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	मद संख्या	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 हजार में)
1.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1200
2.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	267
3.	26-मशीनें और साज्जा / उपकरण और संयत्र	3333
4.	42-अन्य व्यय	1133
5.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	1167
	कुल योग	7100

2- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों / अन्य आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आपंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रू" से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गतवर्ष स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2010 तक कर लिया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई भी धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

6– कार्यालय फर्नीचर एवं मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र आदि के क्रय में प्रचलित प्रोक्योरमेन्ट नियम–2008 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कम्प्यूटर आदि का क्रय आई0टी0/एन0आई0सी0 के दिशा–निर्देशानुसार एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन किया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, आयोजनागत, 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक, 003 के स्थान पर) 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान–00 के अन्तर्गत संलग्नक में इंगित सुसंगत प्राथमिक मदों के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 207/XXVII(2)/2008, दिनांक 06 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 145(1)/VII-2-09/51–ख/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी।
3. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

PLAN-2009-10-17